

द नेशनल फैक्ट राष्ट्रीय मीडिया, फैक्ट ऑनलाईन इन्फॉरमेशन संस्थान पोस्ट बाक्स–4606, होज़–खास, नई दिल्ली–110016

The National Fact, A National Media and Fact Information (org.) in New Delhi-110016, India

P.O.Box 4606 Hauz-Khas New Delhi-110016, India e-mail:recruitment@nationalfact.com, website- https://careers.nationalfact.com

INVITING APPLICATIONS FOR THE POST OF MEDIA REPORTER FELLOW

Fact information for Government Organizations, Employees & People information system. It has world-class facilities in this area. Indian Nationals who desires of pursuing awareness in the field of government schemes, humans rights, all people help and support, education for many subjects may attend.

सरकारी संगठनों, कर्मचारियों और लोगों के लिए तथ्य की जानकारी सूचना प्रणाली। इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। भारतीय नागरिक जो जागरूकता को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। जैसे– सरकारी योजनाओं, मानव अधिकारों, सभी लोगों की मदद और समर्थन, कई विषयों के लिए शिक्षा में भाग ले सकते हैं।

RNI-NO.DELBIL/08/23474 द नेशनल फैक्ट The National Fact

विज्ञापन / नोटिफिकेशन सं.एम.पी. / 025 / 2023 Advertisement No. M.P./025/2023

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 15 अप्रेल 2023

LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION: 15 April 2021

1. मध्यप्रदेश में पद और रिक्तियों की संख्या

1. Post and No. of vacancies for Madhya Pradesh.

1. मानदेय, प्रोत्साहन एवं परिलब्धियाँ और अन्य वित्तीय लाभ

क्रम संख्या	पद कैटेगरी	योग्यता	जेन्डर	पद नियुक्ति का क्षेत्र	मूल मानदेय (रू.) वर्ग—बी	पद संख्या	वर्ग-ए मानदेय / प्रति-योग की मात्रा का (प्रतिशत)	भत्ता
1	पंचायत या नगरीय मीडिया रिपोटर	10वी	महिला—पुरूष	ग्राम पंचायत क्षेत्र	1000-3000/	52	35% कम से कम व	वर्ग-ए व वर्ग-बी ग्रुफ में चयनित केन्डीडेट के
2	किसान और मजदूर मीडिया रिपोटर		महिला—पुरूष	नगर / व्लाक क्षेत्र	1200-3600/	12	अधिकतम ४५% की	लिए लाभ नियमानुसार मान्य होगें।
3	महिलाओं और बच्चों मीडिया रिपोटर	10वी	महिला	आंगनवाड़ी (सेक्टर) क्षेत्र	1500-3900 /	28	दर से कोई भी एक	,
4	न्यायालय और पुलिस मीडिया रिपोटर		महिला—पुरूष	तहसील-पुलिस थाना क्षेत्र	1500-3900/	60	(मानदेय या	
5	पॉलिटिक्स और लीडर्स मीडिया रिपोटर	ग्रेजुऐट	महिला—पुरूष	जिला (District) क्षेत्र	1800-5400 /	24	निधिमानदेय)	
6	शिक्षा और सहकारी मीडिया रिपोटर	10+2	महिला—पुरूष	व्लाक (वि.खण्ड) क्षेत्र	1200-3600/	20	नियुक्ति नियम	
7	व्यापार और सेवाएँ मीडिया रिपोटर		महिला—पुरूष	व्लाक (वि.खण्ड) क्षेत्र	1500-3900 /	40	अनुसार जो कि	
8	सरकारी कर्मचारी (सभी) मीडिया रिपोटर		महिला—पुरूष	व्लाक (वि.खण्ड) क्षेत्र	1500-4200 /	20	प्रशिक्षण उपरान्त	
9	कारखाना और स्थान मीडिया रिपोटर		महिला—पुरूष	तहसील व जिला क्षेत्र	1800-5400 /	22	(प्रदान) प्राप्त होगा।	
10	आईएएस, आईपीएस, अधिकारी रिपोटर	पो.ग्रेजुएट	महिला—पुरूष	जिला (District) क्षेत्र	7500-25400/	2		
11	संगठन और फर्म मीडिया रिपोटर	ग्रेजुएट	महिला—पुरूष	व्लाक (वि.खण्ड) क्षेत्र	1800-5400 /	2		
12	किसी भी (क्षेत्र) मीडिया रिपोटर	ग्रेजुएट	महिला—पुरूष	व्लाक (वि.खण्ड) क्षेत्र	1800-5400 /	10		
योग								

सामान्य निर्देशः

- 1. सभी आवेदकों के लिए पद की आवश्यक अपेक्षाओं और विज्ञापन में नियत अन्य शर्तों को भरना आवश्यक है। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वह स्वयं सुतुष्टि कर लें। योग्यता के संबंध में किसी प्रकार की पुछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- 2. आवेदकों को केवल ऑनलाईन आवेदन ही करना होगा। किसी मैनुअल / कागजी पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 3, स्क्रीनिंग और चयन आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर किया जायेगा, अतः यह आवश्यक है कि आवेदक केवल सही और सम्पूर्ण जानकारी ही प्रस्तुत करें। गलत जानकारी प्रस्तुत करना एक आयोग्यता होगी और ऐसी गलत जानकारी प्रस्तुत करने के फलस्वरूप होने वाले परिणामों के लिए द नेशनल फैक्ट (टीएनएफ) जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4. यदि किसीअभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी गलत पाई जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता मानदंडों के साथ पुष्टिकारक नहीं पाई जाती है तो भर्ती की प्रक्रिया के किसी चरण पर या भर्ती के पश्चात अथवा जॉइनिंग के पश्चात ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यार्थियों की अभ्यर्थता रद्द की जा सकेगी।
- 5. ऑनलाईन आवेदन में घोषित मेलिंग का पता / निवास / आवेदित कैटेगरी एवं नियुक्ति स्थान डिसिप्लिन में किसी परिवर्तन के निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6. अभ्यथियों को भविष्य के संदर्भ हेतु अपनी टीएनएफ आवेदन (Application Number) रिजस्टेशन स्लिप की प्रति अपने पास रखनी चाहिए। इसके प्रिंट आउट के साथ छेड़छाड़ न करें। कोई भी दस्तावेज, जिस में आवेदन (Application Number) रिजस्टेशन स्लिप इत्यादि की प्रति सम्मिलित है, टीएनएफ को न भेजें जब तक कि विशिष्ट रूप से इनकी मांग नहीं की जाती।
- 7. सरकारी सेवा में कार्यरत व सेवारत अभ्यर्थियों को नियुक्ति हो जाने के वाद या पहले किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 8. यदि एक अभ्यर्थी से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होतें हैं तो नवीनतम आवेदन को फाइनल माना जायेगा।
- 9. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल दिल्ली होगा।
- 10. अभ्यार्थी को ऑनलाईन चयनित (Result) सूची में प्रकाशन कर दिये जाने मात्र का यह अर्थ नहीं होगा कि टीएनएफ द्वारा उसकी अभ्यर्थता अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। अभ्यार्थी को साक्षात्कार के पश्चात ही टीएनएफ मूल दस्तावेजों के संबंध में योग्यता की शर्तों का सत्यापन करता है।
- 11. चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के उपरान्त आवश्यकता अनुसार कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।
- 12. संस्था के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.nationalfact.com पर विजिट कर सकते हैं।
- 13 निर्धारित मानदंड पूरे न करने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार कर दिया जाएगा। और गलत जानकारी प्रस्तुत करने वाले किसी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के दौरान अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 14. अभ्यर्थी में 'प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQ) को देख सकते हैं।
- 75 किसी रूप में अनुयाचन या चयन / भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थी तुरंत अयोग्य हो जायेगा। किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में टीएनएफ के प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।
- 16. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी समाचार पत्र में आने वाले अनैतिक विज्ञापन का उत्तर न दें। इस संबंध में किसी संवाद / विज्ञान की प्रामाणिकता के लिए अभ्यर्थी टीएनएफ की वेबसाइट www.careers.nationalfact.com पर इसकी जांच कर सकते हैं।
- 17. कृपया यह नोट करें कि टीएनएफ रजिस्टेशन फीस के अतिरिक्त किसी प्रकार के भुगतान की मांग नहीं करता।
- 18. चयन प्रक्रिया के दौरान कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। डॉयरेक्ट योग्यताओं व सामान्य जागरूकता के वेटेज अनुसार चयन किया जायेगा। परंतु सामान्य जागरूकता का टेस्ट टेलीफोनिक स्तर पर होगा जिसमें अधिकतम 20 मार्कस संबंधित अधिकारी अभ्यर्थी को प्रदान कर सकेगें।

आवेदन कैसे करें

- 1- योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन रजिस्टर करने के लिए वेबसाईट https://careers.nationalfact.com/ पर विजिट करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन साइट 15/02/2023 से 25/12/2021 तक खुली रहेगी। आवेदन का कोई अन्य तरीका, पुनः नोट करें कि कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।
- 2-वेबसाइट पर अपना ऑनलाईन आवेदन रजिस्टेशन/ जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- मोबाइल नंबर, अपना आधार नम्बर और ई—मेल आईडी जिस पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सके। अभ्यार्थी को सलाह दी जाती है कि सेम अथवा उसी ई—मेल आई डी से https://nationalfact.com पर प्रथक से युजर रजिस्टर करलें जिससे अभ्यर्थी की ईमेल कन्फर्म की जा सके।
- —किस कैटेगरी (फील्ड) के लिए आवेदन करना है जस कैटेगरी का ध्यानपूर्वक चयन करें। नोट—जसको पहले से शॉटलिस्ट कर लें।
- —िकस स्थान (ऐरिया) के लिए आवेदन करना है उस स्तर (क्षेत्र) का ध्यानपूर्वक चयन करें। नोट—उसको पहले से शॉटलिस्ट कर लें।
- —उचित रूप से जमा की गई निर्धारित आवेदन फीस के जमा किए जाने की पुष्टि। नोट—उसको पहले से भुगतान का माध्यम दिनाँक, समय व UTR/Payment Reference Number / रिफरेन्स नंबर नोट कर लें।
- —सफेद पृष्ठभूमि (20—50 के बी के बीच का आकार, केवल जेपीईजी / जेपीजी फाईल के रूप में) के साथ अभ्यर्थी के रंगीन नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की स्कैन्ड प्रति।
- योग्यताओं में प्राप्तअंकों का (फाईनल) कुल योग प्रतिशत के रूप में एवं वोर्ड व संस्थान का नाम व पास होने का ईस्वीसन् (वर्ष) नोट कर लें। जिसे आवेदन रजिस्ट्रेशन फार्म (सिम्मट करते समय) में निर्धारित स्थान पर विवरण दें।

रिजस्टर्ड अभ्यार्थियों के साथ सभी पत्राचार केवल उनके रिजस्टर्ड ई—मेंल और मोबाईल द्वारा ही किया जायेगा। अभ्यार्थियों से आग्रह है कि वे अपने रिजस्टर्ड ई—मेल और मोबाईल को कम से कम एक वर्ष तक सिक्रय रखें। अभ्यर्थी द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन जमा कर दिये जाने के पश्चात किसी परिवर्तन की अनुमित नहीं होगी। रिजस्टेशन प्रभारः अभ्यर्थियों की भिन्न—भिन्न पद कैटेगरी के लिए रिजस्टेशन प्रभार निम्नलिखित होगें:

क्रम सं.	आवेदित पद कैटेगरी	आवेदन शुल्क	क्रम संख्या	आवेदित पद कैटेगरी	आवेदन शुल्क	क्रम संख्या	आवेदित पद कैटेगरी	आवेदन शुल्क	यूपीआई (UPI) द्वारा आवेदन फीस जमा करने हेतु QR कोड
1	PANCHAYAT AND URBAN पंचायत और नगरीय मीडिया रिपोटर	150*	2	FARMER AND LABOUR किसान और मजदूर मीडिया रिपोटर	150*	3	WOMEN AND CHILD महिलाओं और बच्चों मीडिया रिपोटर	150*	
4	POLICE AND COURT न्यायालय और पुलिस मीडिया रिपोटर	150*	5	POLITICS AND LEADERS पॉलिटिक्स और लीडर्स मीडिया रिपोटर	150*	6	EDUCATION AND COOPERATIVE शिक्षा और सहकारी मीडिया रिपोटर	150*	
7	BUSINESS AND SERVICES व्यापार और सेवाएँ मीडिया रिपोटर	150*	8	GOVT- EMPLOYEE (All) सरकारी कर्मचारी(सभी) मीडिया रिपोटर	150*	9	INDUSTRIES AND PLACE कारखाना और स्थान मीडिया रिपोटर	150*	
10	IAS/IPS/IFS OFFICERS & आईएएस, आईपीएस, अधिकारी मीडिया रिपोटर	350*	11	ORGANIZATIONS संगठनों और फर्मों मीडिया रिपोटर	150*	12	Any others (Feald) किसी भी (क्षेत्र) में	150*	nationalfact@oksbi

*रजिस्ट्रेशन प्रभार में रू.100 पोर्टल चार्जेज समेत अन्य शुल्क सम्मिलित हैं। रजिस्ट्रेशन फीस अप्रतिदेय है।

- 3- रजिस्ट्रेशन फीस द नेशनल फैक्ट A/c नंबर 30819948146, आईएफएससी कोड़: \$BIN0001065 एसबीआई ग्रीनपार्क नई दिल्ली —110016 के नाम देय होगें। जिसकी जमा रिलप (बैंक जमा रिसीब्ड पर कम्यूटर द्वारा जनरेट रिफरेन्स नंबर प्राप्त कर्ता बैंक कर्मचारी से नोट कराना आवश्यक होगाः जिसे आवेदन करते समय अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क पेमेन्ट में विवरण देना आवश्यक होगा। जिसे बाद में आवश्यकता पड़ने पर पृष्टि की जा सके।
- 4- अथवा रजिस्टेशन फीस उपरोक्त क्युआर कोड को स्कैन कर आवेदित पद कैटेगरी अनुसार यूपीआई (UPI) सभी प्रकार के डिजीटल वॉयलेट या पेमेन्टएप द्वारा किया जा सकेगा।
- 5- या डॉयरेक्ट आवेदन करते समय क्यूओर कोड के स्कैन कर यूपीआई (UPI) सभी प्रकार के डिजीटल वॉयलेट या पेमेन्टएप द्वारा किया जा सकेगा। भुगतान हो जाने के बाद मोबाईल पर प्राप्त रिफरेंस नंबर पेमेन्टएप का नाम, दिनाँक समय को आवेदन फार्म में शुल्क पेमेन्ट विवरण में देना आवश्यक होगा।
- 6-अभ्यर्थियों को अपने आवेदन रजिस्ट्रेशन की मूल प्रते को प्रिंट कर और सेव कर अपने पास रखना चाहिए ताकि बाद में टीएनएफ द्वारा इसे सत्यापित किया जा सके।
- 7-अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक ही आवेदन जमा करें। एक ही अभ्यर्थी द्वारा अनेक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में केवल नवीनतम को ही फाइनल माना जायेगा और पुराने आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- 8-अभ्यार्थियों को पोस्ट द्वारा अलग से रिजल्ट / पत्र / नियुक्ति पत्र नहीं भेजे जाएंगे। भेजे गए ई-मेल / एसएमएस के अमान्य या गलत ई-मेल आईडी / मोबाईल फोन नंबर होने पर या स्पैम / बल्क मेल फोल्डर में ई-मेल की डिलेवरी के कारण होने वाले किसी लॉस के लिए टीएनएफ जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9-शॉटलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से जब और जैसे मांगे जाएँ, प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ जमा करने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- 10-अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के मध्य मान्य होगी। लेकिन ट्रेनी उम्मीदवार को आयु सीमा में नियमानुसार छूट रहेगी।

चयन प्रक्रिया।

अभ्यर्थी का अंतिम चयन अर्हता और टेलीफोनिक साक्षात्कार मानदंडों के आधार पर किया जायेगा—शैक्षिक अर्हता, साक्षात्कार (टेलीफोनिक) में प्रदर्शन और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन अनुसार शैक्षिक अर्हता पर 75 अंक टेलीफोनिक साक्षात्कार पर 20 अंक व्यक्तिगत साक्षात्कार 05 अंक कुल 100 अंक प्रदान किए जायेगें।

how to apply

- 1. Eligible and interested candidates should visit the website www.nationalfact.com to register online application. Registration site Open from 25/08/2021 to 25/08/2021. Any other mode of application, again note that no other method will be acceptable.
- 2. Before registering / submitting your online application on the website, the candidates should keep the following documents ready:- Mobile number, your Aadhaar number and e-mail ID, which can be used to complete the registration process. The candidate is advised to register the user from the sender on the https://careers.nationalfact.com with the same email ID or the same e-mail ID so that the candidate's email can be confirmed.-Which category (field) to be applied for, select that category carefully. Note Get it shot in advance.-Which one has to apply for the location (area) carefully select the level (area). Note Get it shot in advance.-Confirmation of the submission of the appropriately submitted prescribed application fees. Note- Please note the date, time and reference number of the payment in advance.-Scanned copy of candidate's latest passport size photograph with white background (size between 20-50 K B, as JPEG / JPG file only). Note the total sum of the marks obtained in the qualifications (final) as a percentage and the name (year) of the ward and the name of the institute. Whose details should be given in the application registration form (while applying) at the designated place. All correspondence with registered candidates will be done only through their registered e-mail and mobile. Candidates are requested to keep their registered email and mobile active for at least one year. No change will be allowed once the candidate has submitted the online application. Registration Charges: Following are the registration charges for different post categories of candidates: 'Registration charges include charges for all the different posts category of the selection process including Rs. 100/- portal charges. Registration fees are non-refundable.
- 3. Registration fees will be payable in the name of **The National Fact** A/c No. **30819948146**, IFSC Code: **SBIN0001065** SBI Green park New Delhi-110016. Whose deposit slip (on bank deposit receipted, it is necessary to note down from the receiving bank employee the reference number generated by the computer: the application fee paid by the candidate while applying It will be necessary to give details. Which can be confirmed later if required.
- 4. Or the registration fee can be done by scanning the above QR code, UPI (all types of digital violet or payment app) according to the applied category.
- 5. Or at the time of direct application, UPI can be done by all types of digital violet or payment app by scanning the QR code. After payment is made, it will be necessary to give the name of the reference number payment, received on the mobile, the date and time in the fee payment details in the application form.
- 6. Candidates should keep the original copy of their application registration by printing and saving it so that it can be verified later by TNF.
- 7. Candidates are advised to submit only one application. In case of multiple applications received by the same candidate, only the latest one will be considered as final and old applications will be rejected.
- 8. Separate result / letter / appointment letter will not be sent to the candidates by post. TNF shall not be responsible for any loss due to invalid or incorrect email ID / mobile phone number of the email / SMS sent or due to delivery of the email in the spam / bulk mail folder.
- 9. It shall be the responsibility of the candidates to submit copies of certificates when and when they are sought from the short listed candidates.
- 10. The age limit of the candidate will be valid between 18 and 35 years. But there will be relaxation in age limit for trainee candidates as per rules.

Selection Process.

The final selection of the candidate will be done on the basis of eligibility and telephonic interview criteria - educational qualification, performance in interview (telephonic) and performance in personal interview. According to the educational qualification, 75 marks will be provided on telephonic interview, 20 marks, personal interview 05 marks, total 100 marks will be provided.









- 1. ग्राम पंचायत मीडिया/ प्रभारी रिपोटरग्राम पंचायत स्तर पर चयनित व रिक्त कोई भी ग्राम पंचायत में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 2. महिला बाल विकास मीडिया रिपोटर सेक्टरअनुसार किसी भी चयनित या रिक्त सेक्टर में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 3. पुलिस स्टेशन (थाना) मीडिया/ प्रभारी रिपोटर पुलिस स्टेशन (थाना) स्तर पर किसी भी चयनित व रिक्त कोई भी पुलिस स्टेशन (थाना) में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 4.तहसील / सबिडव्हीजन कार्यालय मीडिया रिपोटर तहसील / सबिडव्हीजन कार्यालय स्तर पर किसी भी चयनित या रिक्त तहसील / सब डिव्हीजनकार्यालय में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 5. न्यायालय (कोर्ट) मीडिया / प्र<mark>भारी रिपोटर</mark> न्यायालय स्तर पर चयनित व रिक्त किसी भी न्यायालय परिक्षेत्र में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 6. नगर (नगर परिषद, नगर <mark>पालिका परि</mark>षद, नगर निगम) मीडिया रिपोटर नगर (Urban Area) अनुसार किसी भी चयनित या रिक्त नगर में मध्यप्रदेश राज्य के अंतंगत।
- 7. व्यापार व सेवाऐं मीडिया/प्रभारी रिपोटर नगर (मार्केट) स्तर पर चयनित व रिक्त कोई भी नगर (मार्केट) में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 8. आईएएस, आईपी<mark>एस मीडिया/ प्रभारी</mark> रिपोटर जिला कलेक्टर कार्यालय (District) स्तर पर चयनित व रिक्त कोई भी जिला (District) में मध्यप्रदेश राज्य के अंतंगत।
- 9. किसान, मजदूर मी<mark>डिया/ प्रभारी रिपो</mark>टर व्लाक व जिला स्तर पर चयनित व रिक्त कोई भी व्लाक व जिला में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 10. सरकारी अधिकारी / कर्मचारी मीडिया / प्रभारी रिपोटर व्लाक व जिला स्तर पर चयनित व रिक्त कोई भी व्लाक व जिला में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 11. पॉलिटिक्स / लीडर्स मीडिया / प्रभारी रिपोटर ब्लाक व जिला स्तर पर चयनित व रिक्त कोई भी ब्लाक व जिला में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 12. संगठन / फर्म व संस्थाएं मीडिया / प्रभारी रिपोटर व्लाक व जिला स्तर पर चयनित व रिक्त कोई भी व्लाक व जिला में मध्यप्रदेश राज्य के अंर्तगत।
- 1. Gram Panchayat Media / In-charge Reporters selected at Gram Panchayat level and vacant in any Gram Panchayat under the state of Madhya Pradesh.
- 2. According to the State of Madhya Pradesh in any selected or vacant sector according to the women child development media report sector.
- 3. Under the state of Madhya Pradesh in any selected and vacant police station (police station) at Police Station (Police Station), Media / In charge Reporter Police Station (Police Station) level.
- 4. Tehsil / Subdivision Office Media Reporters at Tehsil / Subdivision Office level in any selected or vacant Tehsil / Subdivision office under the state of Madhya Pradesh.
- 5. Under the state of Madhya Pradesh in any court area selected and vacant at the court level (Court) Media / Incharge Report.
- 6. Municipal (Municipal Council, Nagar Palika Parishad, Municipal Corporation) in any selected or vacant city according to media report city (Urban area) under the state of Madhya Pradesh.7. Trade and Services Media / In charge under the state of Madhya Pradesh in any city (market) selected and vacant at the report (market) level.
- 8. IAS, IPS Media / Reporter in-charge at the District Collector Office (district Area) level in the selected and vacant District (District) under the state of Madhya Pradesh.
- 9. Under the state of Madhya Pradesh in selected and vacant and any district and district at the district level, farmers media, laborers / laborers in charge.
- 10. Under the state of Madhya Pradesh in government officials / employees media / in-charge reporter block and any district selected and vacant at district level.
- 11. Politics / Leaders Media / In-charge Reporter Block and any block selected and vacant at district level and under the state of Madhya Pradesh in the district.
- 12.Organizations / Firms and Institutions Media / In-charge Reporters Block and any block selected at district level and under the state of Madhya Pradesh in the district.

Madhya Pradesh Fact in 2023:

District- 52 Block-313 Municipal Council-293 Nagar Palika Parishad-99 Municipal Corporation-16 Tehsil-424 Police station- 1117 Gram Panchayat-22812 Lok Sabha-29 Bidhan Sabha-230 जिला—52 विकास खण्ड—313 नगर परिषद—293 नगर पालिका परिषद—99 नगर निगम—16 तहसील–52 पुलिस थाना–1117 ग्राम पंचायत–22812 लोक सभा–29 विधान सभा–230



द नेशनल फैक्ट के बारे में-

द नेशनल फैक्ट (टीएनएफ) जो कि निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ''मीडिया'' संस्थान है और भारत की एक फैक्ट ऑनलाईन जानकारी व न्यूज उपलब्ध कराने वाली संस्था है, भारत और विदेश की सरकारी और संस्थागत फैक्ट जानकारी (Fact Information) ऑनलाईन संकलन व उपलब्ध कराने में सलग्न है। मीडिया के क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति के साथ भारत की घरेलू मीडिया जानकारी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो वर्तमान में अपने विस्तार स्वरूप में निरंतर ग्रोथ कर रहा है। टीएनएफ समाज व देश में वैचारिक व सैधांतिक रूप में तेजगति से उभरता हुआ एक सर्वश्रेष्ठ अवसर व उचित कम्पेन्सेशन पैकेज प्रदान करने के साथ ही विकास एवं राष्ट्रीय व समाजिक कार्यों पर केन्द्रित पेशेवर रूप से अपने—अपने क्षेत्र में योग्यता व कार्य क्षमता आधारित प्रगति व रोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है।

द नेशनल फैक्ट (टीएनएफ) को उच्च ौक्षिक रिकार्ड्स वाले, युवा, ऊर्जावान, होनहार, क्षमतावान अभ्यर्थियों की आवश्यकता है जो मीडिया, पत्रकारिता, समाज सेवा, पर्यावरण सरंक्षण, संवंधन, परम्पराओं की रक्षा और वंचित, शोषित, निर्धन, अशिक्षित व्यक्तियों की सेवा व सहयोग में मीडिया प्रभारी (ग्रामीण व शहरी स्तर पर) के रूप में संगठन को जॉइन कर सकें। चुने गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण काल (समय को छोड़कर) स्थाईकरण उपरान्त संगठन की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुये भारत या विदेश में कहीं भी (नियुक्त) किया जा सकता है।

The National Fact (TNF), an important "media" institute of the private sector and a fact online information and News providing organization of India, compiles and makes available official and institutional fact information of India and abroad (Fact Information) online. Is involved in conducting. It has a significant contribution to India's domestic media information with a global presence in the media sector. Which is currently growing in its expanding form. TNF provides a best opportunity and appropriate compensation package emerging from the fast pace in the society and the country as well as professionally focused on development and national and social work, with competence and competency based progress in their field and employment Is providing an opportunity to The National Fact (TNF) needs young, energetic, promising, capable candidates with bright academic records who protect media, journalism, social service, environmental protection, enrichment, traditions and serve underprivileged, underprivileged, poor, uneducated individuals. And join the organization as media in-charge (at the rural and urban level) in collaboration. The selected candidates can be appointed anywhere in India or abroad (depending on the requirements of the organization after the training period (excluding time).

आवश्यक निर्देश:- संबिधान सम्मत अधिकार, कर्तव्य एवं नेशनल फैक्ट मीडिया रिपोटर हेतु आवश्यक निर्देश व कार्य।

संबिधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्ति और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है। इन मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित है। संविधान के भाग III में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में हैं।

- —. समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति लिंक या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेद शामिल है, और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल हैं।
- —. भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने संघ या यूनियन बनाने, आने—जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं)।
- –. शोषण के विरूद्ध अधिकार, इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया जाता है।
- —. आस्था एवं अन्तःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास रखना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल हैं।
- —. किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार।
- —.और मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सांवैधानिक उपचार का अधिकार हैं।

The constitution gives some basic freedom to all citizens and the collective as a whole. These fundamental rights are guaranteed in the Constitution as six broad categories which are justified. Articles 12 to 35 contained in Part III of the Constitution deal with fundamental rights.

- -The right to equality which includes equality before the law, the prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste link or place of birth, and equal opportunities in relation to employment.
- -The right to freedom of language and expression, the right to form a union or union, to move, to live and to do any livelihood and business (some of these rights are the protection of the state, the differential relations with foreign countries, public Are given subject to order, decency and morality).
- Right against exploitation, it prohibits forced labor, child labor and human trade.
- -This includes freedom of faith and conscience, becoming a follower of any religion, faith in it and propagating religion.
- The right of citizens of any class to preserve their culture, preserve language or script, and minorities to run educational institutions of their choice. And the right to constitutional remedies for the enforcement of a fundamental right.

Our activities:

The 42nd constitution amendment adopted in 1976 lists the fundamental duties of citizens. Article 51 "A" contained in Part I of the Constitution deals with fundamental duties. It commands citizens, among other things, to abide by the Constitution, promote and follow ideal ideas that inspired India's freedom struggle, to protect the country and serve the country when called upon And to develop a sense of harmony and common fraternity, and to promote mercury piety, linguistic and regional and class variations.

The constitution prescribes the Directive Principles of State Policy, although these laws cannot be justified by law, but are fundamental to the governance of the country, and it is the duty of the state to enforce principles in law making. They stipulate that the state will provide such a direction to the public policies by establishing a social system as possible - social, economic and political justice in all institutions of national life so that all men and women are provided adequate means of livelihood. Equal pay for equal work and it should be within its economic capacity and development, in order to make effective arrangements for obtaining the right to work, education and public assistance in case of unemployed, in case of old age, sickness and inability or disqualification. to help. The State shall endeavor to achieve the full wages of workers in the management of industries, subsistence wages for workers, human conditions of work, decent standard of living and industries. In the economic sphere, the state should formulate its policy in such a way that the ownership and control of the distribution of material resources that are helpful to the public interest, and to ensure that the accumulation of wealth and means of production as a result of economic system work. Not for public loss.

Some other important instructional elements are related to the provision of opportunities and facilities for children so that they develop well, free and compulsory education for all children up to the age of 14, education for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections. And promotion of economic interests. Organization of village panchayats, separation of judiciary from executive. Implementing uniform civil code for the whole country, protecting national monuments, promoting justice on equal opportunity basis, system of free legal aid, protecting and upgrading the environment and protecting the country's forests and wildlife. Development of international peace and security, justice and respectful relations between nations, respecting international laws, treaties, obligations, settlement of international disputes by intermediate.

हमारे कर्त्तव्य:-

वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संविधान के भाग IV में सिन्निहत अनुच्छेद 51 'क' मौलिक कर्तव्यों के बारे में हैं। ये अन्य चीजों के साथ—साथ नागरिकों को, संविधान का पालन करने, आदर्श विचारों को बढ़ावा देने और अनुसरन करने का आदेश देता है, जिससे भारत के स्वंतत्रता संग्राम को प्रेरणा मिलि थी, देश की रक्षा करने और जब बुलावा हो तो देश की सेवा करने और सौहाद्रता एवं समान बंधुत्व की भावना विकसित करने एवं पारा धार्मिकता का संवर्धन करने, भाषा विद और क्षेत्रीय एवं वर्ग विविधताओं का विकास करने का आदेश देता है।

संविधान कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है, यद्यिप ये न्यायालय में कानूनन न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते, परन्तु देश के शासन के लिए मौलिक हैं, और कानून बनाने में सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये निर्धारित करते हैं कि राज्य यथासंभव सामाजिक व्यवस्था जिसमें—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था राष्ट्रीय जीवन की सभी संखाओं में कायम करके जनता नीतियों को ऐसी दिशा देगा तािक सभी पुरूषों और महिलाओं को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मुहैया कराए जाएं। समान कार्य के लिए समान वेतन और यह इसकी आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने, बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी एवं असमर्थता या अयोग्यता की आवश्यकता के अन्य मामले में सहायता करना। राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्य की मानवीय स्थितियों, जीवन का शालीन स्तर और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की पूर्ण सहभगिता प्राप्त करने के प्रयास करेगा। आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीित इस तरह से बनानी चाहिए तािक सार्वजनिक हित के निमित सहायक होने वाले भौतिक संसाधनों का वितरण का स्वामित्व एवं नियंत्रण हो, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक प्रणाली कार्य के फलस्वरूप धन का और उत्पादन के साधनों का जमाव सार्वजनिक हािन के लिए नहीं हो।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व बच्चों के लिए अवसरों और सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं तािक उनका विकास अच्छी तरह हो, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों का संवर्धन ग्राम पंचायतों का संगठन, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। पूरे देश के लिए एक समान सिविल कोड लागू करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करना, मुक्त कानूनी सहायता की व्यवस्था, पर्यावरण की रक्षा और उन्नयन और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अंतरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का विकास, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानजनक संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधि, बाध्यताओं का सम्मान करना, मध्यवर्ती द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटान करना।

नोट:-प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 (ए) में ही है।

About Us

नेशनल फैक्ट न्यूज (मीडिया) इंटरनेशनल के बारे में। द नेशनल फैक्ट 13 साल पहले से देश में काम कर रहा है, 'TNF' आज भारत में है, और दुनिया भर में है। ज्ञान और सूचना के लिए बुनियादी मानव की आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा से हमारी वृद्धि को बढ़ावा मिला है, और हमने अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में सच्चाई, विश्वसनीयता, गुणवत्ता और गति के साथ ऐसा किया है।

तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों के युग में समाचार और सूचना की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, उत्कृष्टता की हमारी खोज हमें अपने उत्पादों और सेवाओं को नवाचार, सुधार और नया स्वरूप देती है।

प्रमुख फैक्ट इन्फॉरमेशन पोर्टल के रूप में, और दुनिया के सर्वेश्रेष्ठ पेशेवर रूप से प्रबंधित कॉरपोरेट मीडिया संस्थाओं में से एक, TNF के पास रहने के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा है। कोई आश्चर्य नहीं, हम साल के हर दिन और हर दिन समय के साथ दौड़ते हैं, ग्राहकों की हमारी भीड़ को देने के लिए—, वेबसाइटों और मोबाइल वाहक, दोनों देश और विदेश में, सबसे अच्छा संभव वीडियो / ऑडियो, पाठ और चित्र सामग्री।

TNF समाचारों को लाने के लिए दुनिया भर में जाता है, जहाँ भी यह होता है। परिणाम एक पूर्ण सेवा है, इसकी कवरेज की गहराई में बहुआयामी, और इसकी पहुंच में व्यापकता है।

TNF के बारे में उत्पादों की हमारी सीमा में समाचार फील्ड और वेब कार्यक्रमों और मोबाइल वाहक के लिए मल्टीमीडिया / पाठ सामग्री, और समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों के लिए स्ट्रीम किए गए मल्टीमीडिया और पाठ सामग्री के लिए अनुकूलित समाचार फीड और अनुकूलित कार्यक्रम शामिल हैं।

हम विदेशी और घरेलू के लिए भारत में अपनी रिपोर्ट पैकेज करने और सर्वर ऑनलाइन के माध्यम से अपलिंक करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। यदि आवश्यक हो, तो पेशेवर कर्मचारियों, संपादन और पोस्ट उत्पादन सुविधाओं, हमारे अभिलेखागार तक पहुँच, अपलिंकिंग सुविधा, समन्वयक, निर्माता और संवाददाताओं के प्रावधान शामिल हैं।

हम समाचार, मनोरंजन और जीवन शैली, व्यवसाय, खेल, मानव–हित सुविधाओं और सामाजिक और विकास संबंधी मुद्दों सहित दर्शकों के लिए रुचि के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं।

TNF में अग्रणी भावना हमारी दृष्टि के अनुरूप है — जो समाचार सेवाओं, सुविधाओं, कार्यक्रमों और प्रतिभाओं की एक व्यापक सारणी प्रदान करती है।

आज का डिजिटल युग टीएनएफ को एक 'कम्प्लीट कंटेंट हाउस' के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, मोबाइल और ऑनलाइन मीडिया के लिए एक ही छत के नीचे किसी भी टीएनएफ सेवा की अधिक जानकारी के लिए टेक्स्ट, वीडियो और पिक्चर कंटेंट उपलब्ध भी कराता है।

ईमेलः : news@nationalfact.com

bout The National Fact News International about an iFounded over 13 years ago, TNF is today in India, and across the globe. Our growth has been fuelled by the desire to fulfill the basic human need for knowledge and information, and we have done so with truth, credibility, quality and speed as our guiding principles.

To cater to the ever-increasing spectrum of demand for news and information in an era of rapidly evolving technologies, our pursuit of excellence sees us ever innovating, improving and redesigning our products and services.

As leading Fact Information News portal, and one of the best professionally managed corporate media entities of the world, TNF has a big reputation to live up to. No wonder, we race with time every and every day of the year, to deliver to our multitude of clients-, websites and mobile carriers, both at home and abroad, the best possible video/audio, text and picture content.

TNF goes across the globe to bring news, wherever it takes place. The result is a complete service, multi-faceted in the depth of its coverage, and extensive in its reach.

about TNF Our range of products encompass loosely edited news feeds and customized Programmes for , live web casting and streamed multimedia / text content for websites and mobile carriers, and services for e-newspapers, e-magazines and websites.

We also provide a range of facilities for foreign and domestic to package their reports in India and uplink via Server online. These include provision of professional crews, editing and post production facilities, access to our archives, up linking facilities, coordinators, producers and correspondents, if required.

We cover almost all areas of interest to viewers including news, entertainment and lifestyles, business, sports, Person, Places human-interest features and social and developmental issues.

At TNF the pioneering spirit continues in line with our vision - that of providing a comprehensive array of news services, facilities, programmes and talent.

Today's digital era is seeing TNF fast emerging as a 'Complete Content House' providing text, video and picture content for TV, print, mobile and online media, all under one roof. For more information on any TNF Service:

email: news@nationalfact.com

EDUCATION Reporting

शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं। इस प्रकार यह कौशलों (skills), व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है।

शिक्षा सीखने की सुविधा, या ज्ञान, कौशल, मूल्यों, नैतिकता, विश्वास और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। शैक्षिक विधियों में शिक्षण, प्रशिक्षण, कहानी, चर्चा और निर्देशित अनुसंधान शामिल हैं। शिक्षा अक्सर शिक्षकों के मार्गदर्शन में होती है, हालांकि शिक्षार्थी खुद को शिक्षित भी कर सकते हैं। शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक समायोजन में हो सकती है और किसी भी अनुभव का उस पर एक प्रारंभिक प्रभाव पड़ता है जो किसी के विचार, अनुभव या कृत्यों को शैक्षिक माना जा सकता है। शिक्षण की पद्धित को शिक्षाशास्त्र कहा जाता है। अकादिमिक पाठ्यक्रम के अनुपूरक के रूप में नैतिक शिक्षा की शुरुआत करके एक पहल की जा सकती है, तािक विद्यार्थी धेर्यपूर्वक जीविकोपार्जन की और जीवन की परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। यह व्यवस्था और यह विषय देश व समाज के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ में यह हर इंसान के जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ी सी भी गलती अथवा सुधार पूरा जीवन वर्वाद व आवाद कर सकती है।

और जिसके परिणाम अन्य (गृह, क्षेत्र, सभ्यता, जीव, प्राणी व मौजूद हर घटक) को भी प्रभावित कर सकती है। इसिलए इसके हर पहलू व हर बिन्दू को सावधानी और समझदारी के साथ रिपोटिंग करने की आवश्यकता होगी जिसमें संकलन, प्रकाशन, प्रसारण, प्रचारण, धारण व उच्चारण आदि सम्मिलित है।

Makes a human being a good person. Education includes knowledge, proper conduct and technical proficiency, teaching and learning. Thus, it focuses on skills, trades or professions and the development of mental, moral and aesthetic themes.

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs, and habits. Educational methods include teaching, training, storytelling, discussion and directed research. Education frequently takes place under the guidance of educators, however learners can also educate themselves. Education can take place in formal or informal settings and any experience that has a formative effect on the way one thinks, feels, or acts may be considered educational. The methodology of teaching is called pedagogy.

A beginning may be made by introducing value education that would supplement the academic curricula, thereby preparing students to face the test of career and life with equanimity.

COOPERATIVE Reporting सहकारी समिति (cooperative) लोगों का ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं।

सहकारी "एक संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है"। सहकारी समितियां उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से स्वामित्व में हैं, प्रत्येक सदस्य के पास निदेशक मंडल के चुनाव में एक वोट होता है। सहकारिता में शामिल हो सकते हैं।

व्यवसायों का स्वामित्व और प्रबंधन उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं।

संगठन उन लोगों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो वहां काम करते हैं।

बहु—हितधारक या सहकारी समितियाँ जो विभिन्न हितधारक समूहों के बीच स्वामित्व साझा करती हैं। उदाहरण के लिए, देखभाल सहकारी समितियां जहां देखभाल देखभालकर्ता और रिसीवर दोनों के बीच साझा की जाती हैं। हितधारकों में गैर—लाभकारी या निवेशक भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी और तीसरी श्रेणी की सहकारी समितियाँ जिनके सदस्य अन्य सहकारी समितियाँ हैं। प्लेटफॉर्म सहकारी समितियाँ जो माल और सेवाओं की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सहकारी स्वामित्व और शासित वेबसाइट, मोबाइल या एक प्रोटोकॉल का उपयोग करती हैं।

इनकी रिपोटिंग विधिसम्मत करना आवश्यक होगा।

A cooperative is "an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned enterprise". Cooperatives are democratically owned by their members, with each member having one vote in electing the board of directors. Cooperatives may include:

businesses owned and managed by the people who use their services organizations managed by the people who work there multi-stakeholder or hybrid cooperatives that share ownership between different stakeholder groups. For example, care cooperatives where ownership is shared between both care-givers and receivers. Stakeholders might also include non-profits or investors. second- and third-tier cooperatives whose members are other cooperatives platform cooperatives that use a cooperatively owned and governed website, mobile app or a protocol to facilitate the sale of goods and services.

COURT Reporting

एक अदालत वह व्यक्ति या संस्था है, जिसे अक्सर सरकारी संस्थान के रूप में, पार्टियों के बीच कानूनी विवादों को स्थगित करने और कानून के शासन के अनुसार नागरिक, आपराधिक, और प्रशासनिक मामलों में न्याय के प्रशासन को चलाने के अधिकार के साथ। सामान्य कानून और नागरिक कानून दोनों कानूनी प्रणालियों में, न्यायालय विवाद समाधान के लिए केंद्रीय साधन हैं, और आमतौर पर यह समझा जाता है कि सभी लोगों के पास अदालत में अपने दावे को लाने की क्षमता है। इसी तरह, एक अपराध के अभियुक्तों के अधिकारों में एक अदालत के सामने बचाव पेश करने का अधिकार शामिल है। इन संस्थाओं की रिपोटिंग कानूनी सीमाओं में रहकर नियमित व लगातार करना।

A court is that person or institution, often as a government institution, with the authority to adjudicate legal disputes between parties and carry out the administration of justice in civil, criminal, and administrative matters in accordance with the rule of law. In both common law and civil law legal systems, courts are the central means for dispute resolution, and it is generally understood that all people have an ability to bring their claims before a court. Similarly, the rights of those accused of a crime include the right to present a defense before a court.

न्यायालय का तात्पर्य सामान्यतः उस स्थान से है जहाँ पर न्याय प्रशासन कार्य होता है, परंतु बहुधा इसका प्रयोग न्यायाधीश के अर्थ में भी होता है। बोलचाल की भाषा में

POLICE Reporting №

पुलिस एक राज्य द्वारा सशक्त व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जिसका उद्देश्य कानून लागू करना, नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति सुनिश्चित करना और अपराध और नागरिक विकार को रोकना है। उनकी विधायी शक्तियों में गिरफ्तारी और हिंसा पर एकाधिकार के माध्यम से राज्य द्वारा वैध बल का उपयोग शामिल है। यह शब्द आमतौर पर एक संप्रभु राज्य के पुलिस बलों के साथ जुड़ा हुआ है जो कि उस राज्य की पुलिस शक्ति को एक निर्धारित कानूनी या क्षेत्रीय जिम्मेदारी वाले क्षेत्र के भीतर प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। पुलिस बलों को अक्सर विदेशी हमलावरों के खिलाफ राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य और अन्य संगठनों से अलग होने के रूप में परिभाषित किया जाता है या पुलिस बल आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं हैं, जो करों के माध्यम से वित्त पोषित हैं। पुलिस एक सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग किसी भी देश की अन्दरूनी नागरिक सुरक्षा के लिये ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार किसी देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों से रक्षा के लिये सेना का उपयोग किया जाता है।

इन से जुड़े तथ्यों की नियमित नियम अनुसार नियमित रिपोटिंग करना।

The police are a constituted body of persons empowered by a state, with the aim to enforce the law, to ensure the safety, health and possessions of citizens, and to prevent crime and civil disorder. Their lawful powers include arrest and the use of force legitimized by the state via the monopoly on violence. The term is most commonly associated with the police forces of a sovereign state that are authorized to exercise the police power of that state within a defined legal or territorial area of responsibility. Police forces are often defined as being separate from the military and other organizations involved in the defense of the state against foreign aggressors; Police forces are usually public sector services, funded through taxes.

WOMEN & CHILD Reporting

महिला मानव के मादा स्वरूप को कहते हैं, जो स्त्रीलिंग है। महिला शब्द मुख्यतरू वयस्क स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किन्तु कई संदर्भों में यह शब्द संपूर्ण स्त्री वर्ग को दर्शाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, एक महिला एक वयस्क महिला मानव है। महिला शब्द एक लड़की को भी संदर्भित कर सकता है। बहुवचन महिलाओं को कभी—कभी उम्र की परवाह किए बिना महिला मनुष्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि महिलाओं के अधिकार जैसे वाक्यांशों में।

जैविक रूप से, एक बच्चा जन्म और यौवन के चरणों के बीच या शैशवावस्था और यौवन के विकास की अविध के बीच एक इंसान है। बच्चे की कानूनी पिरभाषा आम तौर पर एक नाबालिग को संदर्भित करती है, अन्यथा बहुमत से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। बच्चों के पास आमतौर पर वयस्कों की तुलना में कम अधिकार और कम जिम्मेदारी होती है। उन्हें गंभीर निर्णय लेने में असमर्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और कानूनी तौर पर अपने माता—पिता या किसी अन्य जिम्मेदार देखभालकर्ता की देखरेख में होना चाहिए। इन दोनों की रिपोटिंग इनकी सुरक्षा और देखभाल अपनी जान की परवाह किये बिना पूरी श्रृद्धा व समर्पण, सम्मान व सदाचार के साथ करना।

A woman is an adult female human. The term woman may also refer to a girl. The plural women is sometimes used for female humans regardless of age, as in phrases such as "women's rights."

Biologically, a child is a human being between the stages of birth and puberty, or between the developmental period of infancy and puberty. The legal definition of child generally refers to a minor, otherwise known as a person younger than the age of majority. Children generally have fewer rights and less responsibility than adults. They are classed as unable to make serious decisions, and legally must be under the care of their parents or another responsible care giver.

FARMER and LABOUR Reporting

किसान उन्हें कहा जाता है, जो खेती का काम करते हैं। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। ये बाकी सभी लोगो के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करते है। इसमें फसलों को उगाना, बागों में पौधे लगाना, मुर्गियों या इस तरह के अन्य पशुओं की देखभाल कर उन्हें बढ़ाना भी शामिल है। कोई भी किसान या तो खेत का मालिक हो सकता है या उस कृषि भूमि के मालिक द्वारा काम पर रखा गया मजदूर हो सकता है। एक किसान कृषि में लगा हुआ व्यक्ति है, जो भोजन या कच्चे माल के लिए जीवित जीवों का पालन-पोषण करता है। यह शब्द आम तौर पर उन लोगों पर लागू होता है जो खेत की फसल, बागों, दाख की बारियां, मुर्गी पालन या अन्य पशुओं को पालने का कुछ संयोजन करते हैं। एक किसान के पास खेती योग्य भूमि हो सकती है या दूसरों के स्वामित्व वाली भूमि पर एक मजदूर के रूप में काम कर सकता है, लेकिन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, एक किसान आमतौर पर एक खेत का मालिक होता है, जबिक खेत के कर्मचारी को खेत में काम करने वाले या फार्महैंड के रूप में जाना जाता है। हालांकि, इतने दूर के अतीत में नहीं, एक किसान ऐसा व्यक्ति है जो श्रम और ध्यान से विकास को बढावा देता है या सुधारता है। किसान और मजदूर की मेहनत व ध्यान से ही समाज पलता और संवरता है। इनके हितों के लिए रिपोटिंग करना।

A farmer is a person engaged in agriculture, raising living organisms for food or raw materials. The term usually applies to people who do some combination of raising field crops, orchards, vineyards, poultry, or other livestock. A farmer might own the farmed land or might work as a laborer on land owned by others, but in advanced economies, a farmer is usually a farm owner, while employees of the farm are known as farm workers, or farmhands. However, in the not so distant past, a farmer was a person who promotes or improves the growth of by labor and attention.

POLITICS & LEADER'S Reporting

राजनीति दो शब्दों का एक समूह है राज़नीति। (राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने कि कला) अर्थात् नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊँचा करना राजनीति है। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धान्त एवं व्यवहार राजनीति (पॉलिटिक्स) कहलाती है। अधिक संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है।

नेतृत्व एक अनुसंधान क्षेत्र और एक व्यावहारिक कौशल है, जो किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को अन्य व्यक्तियों, टीमों या पूरे संगठनों को 'लीड' करने, प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की क्षमता को समाहित करता है। अक्सर एक प्रतियोगिता के रूप में देखा जाता है, विशेषज्ञ साहित्य विभिन्न दृष्टिकोणों पर बहस करता है। इनकी रिपोटिंग का कार्य संस्था के निर्देशों और नियमों के अनुसार करना।

Politics is a group of two words Raj + Niti. (Raj means governance and policy means the art of doing the right thing at the right time and place) ie to govern through a particular policy or to achieve a particular objective is called politics. In other words, it is politics to raise the social and economic level of the people. At the civil level or at the personal level, a particular type of theory and behavior is called politics. To put it more narrowly, it is politics to get a position in government and to use government post. Leadership is both a research area and a practical skill encompassing the ability of an individual, group or organization to "lead", influence or guide other individuals, teams, or entire organizations. Often viewed as a contested term, specialist literature debates various viewpoints.

■ BUSINESS Reporting

व्यवसाय उत्पादों को बनाने या खरीदने और बेचने से किसी का जीवन यापन करने की गतिविधि है। सीधे शब्दों में कहें, तो यह लाभ के लिए किसी भी गतिविधि या उद्यम में प्रवेश किया गया है।

व्यवसाय (Business) विधिक रूप से मान्य संस्था है, जो उपभोक्ताओं को कोई उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लक्ष्य से निर्मित की जाती है। व्यवसाय को 'कम्पनी', 'इंटरप्राइज' या 'फर्म' भी कहते हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार का प्रमुख स्थान है जो अधिकांशतः निजी हाथों में होते हैं और लाभ कमाने के ध्येय से काम करते हैं तथा साथ—साथ स्वयं व्यापार की भी वृद्धि करते हैं। किन्तु सहकारी संस्थाएँ तथा सरकार द्वारा चलायी जानी वाली संस्थाएं प्रायः लाभ के बजाय अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनायी गयी होती हैं। उक्त सभी प्रकार के व्यापारिक गतिविधि में संलग्न संस्थाओं व व्यक्तियों की नियमानुसार नियमित रिपोटिंग करना।

Business is a legally recognized entity, created with the goal of providing a product or service to consumers. Business is also called 'Company', 'Enterprise' or 'Firm'. Business has a prominent place in capitalist economies which are mostly in private hands and work with the aim of making a profit and at the same time increase the business itself. However, cooperatives and government-run institutions are often created to serve other purposes rather than profits.

Business is the activity of making one's living or making money by producing or buying and selling products. Simply put, it is "any activity or enterprise entered into for profit."

Regular reporting of the organizations and individuals engaged in all the above mentioned business activities as per rules.

*N***ORGANIZATION**, Reporting

एक संगठन, या संगठन, एक इकाई है — जैसे कि एक कंपनी, एक संस्था या एक एसोसिएशन — जिसमें एक या अधिक लोग शामिल होते हैं और एक विशेष उद्देश्य होता है। संगठन (organisation) वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियन्त्रण करती है, तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है। संगठन तरह—तरह के हो सकते हैं — सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, आदि।

एक संगठन, या संगठन, एक इकाई है — जैसे कि एक कंपनी, एक संस्था या एक संघ — जिसमें एक या अधिक लोग शामिल होते हैं और एक विशेष उद्देश्य होता है। उनकी नियमित समाज व देश हित के लिए नियमानुसार नियमित रिपोटिंग करना। An organization, or organization, is an entity – such as a company, an institution or an association – consisting of one or more people and having a specific purpose. Organization is a social system or strategy aimed at one who controls himself by reviewing his actions, and who has a different range from his environment. Organizations can be of various types – social, political, economic, military, commercial, scientific, etc.

An organization, or organisation, is an entity – such as a company, an institution, or an association – comprising one or more people and having a particular purpose.

GRAM PANCHAYAT, Reporting

पंचायती राज संस्थान (PRI) में तीन स्तर होते हैं:

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति जिला स्तर पर जिला पंचायत।

'पंचायत' शब्द का अर्थ है पांच (पंच) का विधानसभा (अयात) और राज का अर्थ है 'शासन'। पारंपरिक रूप से पंचायतों में स्थानीय समुदाय द्वारा चुने गए बुजुर्ग और बुद्धिमान लोग शामिल होते थे, जो व्यक्तियों और गांवों के बीच विवादों का निपटारा करते थे। पंचायत के मुखिया को मुखिया या सरपंच कहा जाता था। आमतौर पर सबसे बड़े या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को इस पद के लिए चुना जाता है। पंचायती राज प्रणाली को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है (यानी वे एक ग्रामीण स्तर पर सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं), लोकप्रिय धारणा के विपरीत, यह एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। जनवरी 2019 तक, 630 जिला पंचायतें हैं: भारत में 6614 ब्लॉक पंचायतें और 253163 ग्राम पंचायतें। वर्तमान में सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं (जिनमें से 1 मिलियन से अधिक महिलाएं हैं)।

आधुनिक भारत में, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के प्रमुख अधिवक्ताओं में से एक थे, अर्थात् गाँव स्व–शासन जहाँ गाँव अपने मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत की निर्धारित बिषयों योजनाओं की कार्यों व कार्यक्रमों की (आंवटित सर्वर स्लाईड पर) नियमित डेली रिपोटिंग करना। The Panchayati Raj Institution (PRI) consists of three levels: Gram Panchayat at the village level

Block Panchayat or Panchayat Samiti at the intermediate level Zilla Panchayat at the district level.

The word "Panchayat" means assembly (ayat) of five (panch) and raj means "rule". Traditionally Panchayats consisted of elderly and wise people chosen by the local community, who used to settle disputes between individuals and villages. The leader of the panchayat used to be called as Mukhya or Sarpanch. Generally the elder-most or most senior person would be elected to this position. The Panchayati Raj system is also recognised as a form of direct democracy (i.e they exercise all powers of a government at a village level), as opposed to the popular notion that it is a type of representative democracy. As per January 2019, there are 630 Zilla Panchayats; 6614 Block Panchayats and 253163 Gram Panchayats in India. There are currently more than 3 million elected representatives (of which more than 1 million are women) for panchayats at all levels.

In modern India, Mahatma Gandhi was one of the leading advocates of Gram Swaraj i.e village self-governance where the village would be responsible for its own affairs. Regular daily reporting (on the allocated server slide) of the functions and programs of the Gram Panchayat prescribed subject schemes.

नेशनल फैक्ट मीडिया रिपोटर / प्रभारी के अन्य आवश्यक कार्य।



वृक्षों की रक्षा व जन—जीवन में महत्व आदि के बारे में जागरूकता एवं संवधन।



गायों के द्वारा समाज व प्रकृति को होने वाले लाभ व महत्व के बारे में जागरूकता। एवं भारतीय परंपराओं का संवधन।


निद्यों की सफाई व निदयों का हमारे जीवन पर प्रभाव लाभ, महत्व व संवधन के उपाय व जागरूकता सफाई अभियान





पानी के महत्व को समझाना पानी के श्रोतों की रक्षा व वर्षा के पानी का प्रबंधन आदि की जागरूकता। पानी का सद्उपयोग व सर्वधन।

स्वच्छता के संबंध में जागरूकता। स्वच्छता का हमारे स्वस्थ्य और जीवन पर प्रभाव



The National Fact

Precess for Reporter's Recruitment Step by Step

